

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय –आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत प्रधानाध्यापक-मावि पद की वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 20.11.2024 की अभिशंषानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों का प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-एफ) पे-मैट्रिक्स लेवल-14 (ग्रेड पे-5400) पर वर्ष 2019-20 में उनके नाम के सम्मुख विवरणानुसार चयन शिड्यूल में एतद् द्वारा परिवर्तन किया जाता है:-

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	अवधि	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	पूर्व चयन शिड्यूल	नवीन चयन शिड्यूल
1.	438	0	1995-96	Kanchan Rani	20-07-1968	F	I/III	II
2.	447	0	1995-96	Manjubala Khatri	11-03-1965	F	I/III	II
3.	452	0	1995-96	Archana saxena	09-05-1962	F	I/III	II
4.	464	2	1995-96	Santosh Arora	08-09-1960	F	I/III	II
5.	469	0	1995-96	Sunita Devi	17-01-1965	F	I/III	II
6.	478	0	1995-96	Lopamudra Bhatia	06-06-1968	F	I/III	II
7.	479	0	1995-96	Neelam Bansal	01-07-1960	F	I/III	II
8.	495	0	1995-96	Esther Rai	19-11-1967	F	I/III	II
9.	503	0	1995-96	Lalita Mandhani	23-09-1966	F	I/III	II
10.	508	0	1995-96	Babita Koshal	09-07-1962	F	I/III	II
11.	520	0	1995-96	Monika Sharma	30-07-1972	F	I/III	II
12.	524	1	1995-96	Neeta Bhatia	09-12-1969	F	I/III	II

01.06.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ती से संतानों की संख्या दो से अधिक होने की स्थिति में उक्त चयन शिड्यूल परिवर्तन कार्मिक विभाग की संतान संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के विरुद्ध दायर डी.बी. सि. याचिका संख्या 13218/2024 व अन्य एवं एस बी सि याचिका संख्या 18264/2022 ओम प्रकाश जैन बनाम सरकार व अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगा।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग-2/प्र0अ0रि017-18 से 20-21/24(शिड्.परि.) ई-27399 दिनांक:-यथाह0
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-जिला मुख्यालय।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/संस्थापन-सी ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग/विधि अनुभाग को सूचनार्थ।
10. अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-एबी अनुभाग को सूचनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।



निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर